राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12 (07) राज/वाद/2024 जयपुर, दिनांकः 26/02/2026

1. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/
गवर्नमेंट काउंसिल्स, एडीशनल/डिप्टी गवर्नमेंट काउंसिल्स,
माननीय राज0उंच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
2. समस्त अति0मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष।

:: परिपत्र ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन राज्य सरकार के प्रकरणों की सुनवाई में संबंधित विधि अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार की ओर से उपस्थिति/प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किये जाने के संबंध में इस विभाग द्वारा समय–समय पर आदेश/परिपत्र दिनांक 02.04.19, 30.03.23, 01.04.23, 04.04.23, 27.07.23, 17.11.23, 16.01.24, 15.02.24, 15.03.24, 05.07.24 एवं 10.10.25 जारी कर दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

यह संज्ञान में आया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन राज्य सरकार के प्रकरणों में संबंधित विधि अधिकारियों द्वारा उपस्थिति प्रस्तुत किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा जारी उक्त विभागीय आदेश/परिपत्रों की पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है तथा माननीय न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की ओर से प्रकरणों की सुनवाई में अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए समय समय पर नाराजगी जाहिर की जाती है।

एस.बी.रिट कन्टेम्प्ट नम्बर–207/2024, खेतसिंह बनाम श्रीमती श्रेया गुहा में प्रकरण की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से नियुक्त अधिवक्ता की दिनांक 08.07.24 14.01.26 को अनुपस्थिति होने पर माननीय न्यायालय द्वारा विपरीत आदेश पारित किये गये हैं, जिसे राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया गया है।

अतः माननीय राज0 उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार प्रकरणों में उपस्थिति/प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किये जाने के संबंध में पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों/परिपत्रों की निरन्तरता में पुनः निम्न निर्देश दिये जाते हैं:–

1. समस्त विभागों के नोडल अधिकारी/प्रकरण प्रभारी माननीय न्यायालय के समक्ष राज्य की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले अभिवचन के लिये आवश्यक अभिलेख, सुसंगत तथ्य एवं नियम/परिपत्र, प्रकरण में नियुक्त अधिवक्ता को अविलम्ब उपलब्ध करवाया जाना एवं उनसे समन्वय स्थापित रखते हुए राजकीय प्रकरणों में अपेक्षित कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में वरक्त सुनवाई राज्य सरकार की ओर से नियुक्त संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता/काउंसिल्स पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थिति/प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में कोई काउंसिल माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हों, तो इसकी पूर्व सूचना संबंधित पूल प्रभारी/अतिरिक्त महाधिवक्ता को दी जावे, जिससे कि वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके।

26/02/2026

2. समस्त विभागों द्वारा माननीय न्यायालय में विचाराधीन उनके विभाग से संबंधित अवमानना प्रकरणों को गंभीरता से लिया जावे तथा इन प्रकरणों में नियुक्त समन्वयक/प्रकरण प्रभारियों द्वारा प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट/अद्यतन स्थिति सहित संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता/काउंसिल से समय रहते सम्पर्क कर प्रगति रिपोर्ट से विभाग को सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

3. सभी विभागों द्वारा माननीय न्यायालय में उनके विभाग से संबंधित विचाराधीन राजकीय प्रकरणों, अवमानना प्रकरणों की विभागीय स्तर से मोनीटरिंग किये जाने हेतु नोडल अधिकारी/प्रभारी अधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जावे। साथ ही समस्त नोडल अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट को लाईट्स साफ्टवेयर पर दर्ज/अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

4. जिन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकारों के ज्ञापन (Represantation) को निस्तारित करने के निर्देश दिये गये हैं, उन ज्ञापनों (Represantations) को अविलम्ब निस्तारित करना सुनिश्चित किया जावे।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना किया जाना सुनिश्चित किया जावे। यदि इसमें कोई लापरवाही पायी जाती है तो राज्य सरकार द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में ली जावेगी।

26/10/2016

(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव,विधि